

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर (SDO)

अज अदालत.....

बायतु

मुकाम.....

५०१११५

बनाम

खेवारी खेवा

किस्म मुकदमा.....

२७० इनिवेट

नं

५९

सन्

२०१८

१११,१२३ फ्लोर मर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
१५-२-१८	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>खेवारी ५११९५</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>१११,१२३</u></p> <p>राजस्थान कायतकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पॉण्डेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>२०.२.१८</u> को पेश हो।</p>	
२०.२.१८	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थी गिणों के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जिले शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी गिण वाकजूद तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता सि. कृष्ण वटस सुनी आई प्रार्थी के अधिवक्ता ने पत्रावली प्रार्थी के खारेफरी खेवा के चारों ओर पत्रे, नेवत स्थापित कवान। आवश्यकत के लिए प्रार्थी का नेवतगंठी आदेश स्वीकार किया जाकर नेवतगंठी आदेश किया जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी का नेवतगंठी आदेश स्वीकार किया जाकर तहकीलदार जिजा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिवक्ता की सहायता निरीक्षण प्रार्थी के खारेफरी खेवा के नेवतगंठी मॉडल पर श्रद्धा जमाकराकर करे पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फेब्राल शुभा हो दफ्तर नम्बर १६ फलत हो दाखिल दफ्तर हो।</p>	

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 207
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक:-
विप्रार्थीगण

1. मूलाराम पुत्र पदमाराम वगैरा 5
जाति जाट निवासी चक
सन्तरा तह. गिड़ा जिला
बाड़मेर

1. खेतसिंह पुत्र रतनसिंह वगैरा 5
निवासी चक सन्तरा तह. गिड़ा
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 59/18

आदेश


मौजा चक सन्तरा पटवार हल्का सन्तरा के खेत खसरा नम्बर 30, 31, 274/7, 282/23, 290/31 रकबा कमशः 00.03, 11.11, 11.15, 08.05, 25.00 बीघा, मौजा रिड़िया रामदेव नगर पटवार मण्डल सन्तरा के खेत खसरा नम्बर 189/9 रकबा 08.03 बीघा, मौजा पाउण्डरी पटवार मण्डल चिड़िया के खेत खसरा नम्बर 144/13 रकबा 75.00 बीघा, खसरा नम्बर 166/6 रकबा 09.03 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, प्रार्थीगण के नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2018/208-212

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का सन्तरा/चिड़िया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री मूलाराम पुत्र पदमाराम वगैरा 5।
4. विप्रार्थीगण श्री खेतसिंह पुत्र रतनसिंह वगैरा 5।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।


(नेतासाम चौहान) (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 20.2.18


(नेतासाम चौहान) (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु